

कार्यकारी सार

अध्याय 1 : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का कार्यान्वयन

- जीएसटी को कर व्यापक को कम करने, वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु समान बाजार संचालित करने और इन्हें सरलीकृत, स्व-विनियमन और गैर-अंतर्वेधी कर अनुपालन क्षेत्र में लाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।

(पैराग्राफ 1.6)

- जीएसटी को लागू करना कुछ वस्तुओं/क्षेत्रों को छोड़ते हुए बहु केंद्रीय एवं राज्य करों की एकरूपता और समस्त मूल्य श्रृंखला में इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की उपलब्धता के संबंध में सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। कर दरों की बहुलता को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। करदाताओं के लिए एकल आईटी आधारित इंटरफेस लागू करने का उद्देश्य भी काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है।

(पैराग्राफ 1.6.2)

- एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें जीएसटी पूरी क्षमता से लागू नहीं किया जा सका वह सरलीकृत कर अनुपालन क्षेत्र है।
 - जीएसटी लागू किये जाने के दो वर्ष बाद भी, “बीजक मिलान” के माध्यम से प्रणाली द्वारा मान्य कर क्रेडिट यथावत् नहीं था और गैर-अंतर्वेधी ई-कर प्रणाली भी भ्रामक थी।
 - विवरणी तंत्र की जटिलता और तकनीकी गड़बड़ी के कारण बीजक मिलान को वापिस लेना पड़ा, जिसके परिणामतः प्रणाली में आईटीसी धोखाधड़ी संभावित हो गई। जीएसटी प्रणाली की कमियां कार्यकारी तथा विकसितकर्ता के बीच समन्वय के गंभीर अभाव को दर्शाती है।

(पैराग्राफ 1.6.2)

अध्याय II : राजस्व और रिटर्न फाइलिंग रुझान

राजस्व विश्लेषण

- अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि 2016-17 से 2017-18 से 5.80 प्रतिशत कम हो गई थी जबकि यह वृद्धि दर 2016-17 में 21.33 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 2.1.1)

- 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार राज्यों को वर्ष के अन्त में आईजीएसटी विचलन का सहारा लिया, जो भारत के संविधान और आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे राज्यों को निधियों के वितरण का प्रभाव भी पड़ता है जो “प्लेस ऑफ सप्लाई” की अवधारणा के बजाय पूरी तरह से अलग आधार पर है जैसाकि आईजीएसटी अधिनियम में परिकल्पित है।

(पैराग्राफ 2.1.3)

- जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, वस्तुओं और सेवाओं (पेट्रोलियम और तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बिना) पर केन्द्र के राजस्व में 2016-17 में शामिल करों के राजस्व की तुलना में 2017-18 में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

(पैराग्राफ 2.1.4)

- 2017-18 के दौरान लोक लेखा से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के ₹ 6,466 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

(पैराग्राफ 2.1.5)

विवरणी दाखिल करना

- जबकि यह उम्मीद थी कि जैसे ही प्रणाली स्थिर होगी अनुपालन में सुधार होगा, अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक दाखिल किए जा रही सभी विवरणीयां में गिरावट दर्ज की गई
- जीएसटीआर-1 की विवरणी का दाखिला प्रतिशतता जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुरूप दाखिलों की तुलना में हमेशा से कम थी। जीएसटीआर-3बी आरंभ करने के परिणामस्वरूप आईटीसी दावों के साथ

विविधता का दाखिला हुआ जिसे सत्यापित किया जा सकता था तथा यह समान जीएसटीआर-1 के दाखिलों का हतोत्साहन प्रतीत होता है। चूंकि जीएसटीआर-1 का दाखिला अनिवार्य है अतः कम-दाखिला चिंता का विषय है तथा इसका समाधान करने की आवश्यकता है।

- जीएसटीआर-3बी केवल एक सारांश विवरणी है, जीएसटीआर-1 के कम-दाखिला का अर्थ है कि कर विभागों के पास आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए बीजक स्तर का पूरा विवरण नहीं है, जिसका उपयोग जीएसटीआर-3बी में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने या टर्नओवर तक पहुँचने के लिए किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 2.3.1)

अध्याय III : जीएसटीएन का आईटी ऑडिट

16 मामलों में, मुख्य वैधता/कार्यात्मकता लागू मॉड्यूलों में मौजूदा रूप में कानूनी प्रावधानों के साथ संरेखित नहीं पाई गयी थी। इन 16 मामलों में, आवश्यक वैधता सात मामले में एसआरएस में शामिल नहीं की गई थी, वैधता अन्तर्निहित नहीं थी यद्यपि एसआरएस को आठ मामलों में उचित ढंग से तैयार किया गया था और एसआरएस प्रावधान में शामिल एक शर्त एक मामले में अधिनियम में निर्धारित नहीं था।

(पैराग्राफ 3.5)

पंजीकरण मॉड्यूल

प्रणाली वैधीकरण को जीएसटी पंजीकरण मॉड्यूल में हुए जीएसटी अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ संरेखण नहीं किया गया था जिससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण अन्तराल छूट गये:-

- संयुक्त उद्ग्रहण योजना का लाभ उठाने में अयोग्य करदाताओं को मान्य तथा निषेध करने में प्रणाली विफल रही।

(पैराग्राफ 3.7.2)

- अनिवार्य क्षेत्रों को वैकल्पिक या जंक मूल्यों को स्वीकार करते हुए पाया गया था।

(पैराग्राफ 3.8.1)

- टीडीएस पंजीकरण को अमान्य श्रेणी के तहत अनुमति दी गई थी।

(पैराग्राफ 3.8.3)

- सीबीडीटी तथा एमसीए डेटाबेस के साथ पंजीकरण (कानूनी नाम, व्यवसाय का प्रकार और सीआईएन) में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मान्यता का अभाव।

(पैराग्राफ 3.10.2)

भुगतान मॉड्यूल

भुगतान मॉड्यूल 1 जुलाई 2017 से परिचालन में होने के बावजूद निम्नलिखित परिचालनात्मक कमियों से भरा हुआ था; जैसे

- करदाता द्वारा कर के सफल भुगतान के बाद भी ईसीएल को अद्यतित करने में विलम्ब।

(पैराग्राफ 3.13.1)

- बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं पर आश्वासन का अभाव।

(पैराग्राफ 3.14)

- जीएसटी प्राप्तियों के समेकन में समस्याएं।

(पैराग्राफ 3.15)

- सीपीआईएन की समाप्ति से पूर्व आरंभ किए गए भुगतान परन्तु सीआईएन को सीपीआईएन की समाप्ति के पश्चात् सृजित किया गया तथा करदाताओं को संदेशों के गलत प्रदर्शन जैसे मामलों का निपटान तब तक नहीं किया गया जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया नहीं गया।

(पैराग्राफ 3.16)

- डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से भुगतान की सुविधा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका क्योंकि मंत्रालय ने इसका निर्णय नहीं किया कि वित्तीय प्रभावों से कैसे निपटा जाए।

(पैराग्राफ 3.18)

बैंकों और जीएसटी पोर्टल के आईटी अनुप्रयोगों के मध्य स्वचालित इंटरफेस के साथ प्रणाली में, अमान्य जीएसटीआईएन और सीपीआईएन की समाप्ति के रूप में ऐसी त्रुटियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

(पैराग्राफ 3.15)

आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदन

सभी आईजीएसटी निपटान बही खाते को तदनुसूची जीएसटी मॉड्यूलों अर्थात् आयात और अपीलों का क्रियान्वयन न करने के कारण सृजित नहीं किया जा रहा था। निपटान एल्गोरिथ्म में अशुद्धियों के साथ युग्मित तथा प्रतिदाय हेतु आवश्यक सभी सूचना का पता लगाने में जीएसटीआर-3बी विवरणी को सीमित करने से केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के लिए निधियों के निपटान पर असर पड़ा।

- आईजीएसटी शेष के ₹ 2,11,688 करोड़ हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी अपूर्ण आईजीएसटी बही खाते 2017-18 के दौरान निपटाये नहीं गये थे।

(पैराग्राफ 3.22)

- 5 निपटान बही खाते में 6748 मामलों में प्रतिलिपि रिकॉर्ड भी पाये गये थे जिसके कारण जुलाई 2017 से जुलाई 2018 की अवधि हेतु आईजीएसटी निधियों से ₹ 416.07 करोड़ का गलत निपटान किया गया।

(पैराग्राफ 3.23)

- करदाताओं की गलत श्रेणी से एल्गोरिथ्म के द्वारा गलत प्रविष्टियां लेने के कारण गलत प्रविष्टियां हुईं जिसके कारण जुलाई 2017 से

जुलाई 2018 की अवधि के दौरान ₹ 359.46 करोड़ की राशि के आईजीएसटी के गलत निपटान के ब्यौरे देखे।

(पैराग्राफ 3.25)

- एक करदाता का अवास्तविक त्रुटिपूर्ण आरटीसी दावा जो उस महीने में सभी करदाताओं के आरटीसी दावों का 79 प्रतिशत था। प्रणाली द्वारा स्वीकृत किया गया जो कपटपूर्ण आईटीसी दावों के प्रति प्रणाली की कमजोरी को उजागर करते हैं।

(पैराग्राफ 3.26)

प्रणाली की रूपरेखा में कमी

- लेखांकन प्राधिकारियों के साथ साझा की गई फाइलों में चेकसम या अभिलेख स्तर के योग जैसा कोई नियंत्रण योग नहीं था।

(पैराग्राफ 3.17)

- आईजीएसटी मॉड्यूल में गलत प्रतिवेदन से प्रविष्टियां लेने में आईजीएसटी एल्गोरिथ्म को दोषपूर्ण पाया गया।

(पैराग्राफ 3.25)

- टर्नओवर, परिवर्तन संभावित जैसे क्षेत्र को विन्यास योग्य नहीं बनाया गया था।

(पैराग्राफ 3.7.1)

- जब संयुक्त उदग्रहण प्रणाली के लिए निर्धारित कारोबार की सीमा को पार किया गया था तब कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।

(पैराग्राफ 3.7.1)

व्यवसाय निरंतरता एवं बदलाव प्रबंधन

व्यवसाय निरंतरता नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा केवल आपदा राहत योजना स्थापित की गई थी।

(पैराग्राफ 3.28.1)

जीएसटीएन सूचित सुधारात्मक कार्रवाई के पश्चात् भी निपटान नहीं किया गया जो लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कुछ कमियों के साथ युग्मित परिवर्तन प्रबंधन के लिए प्रणालीगत अभिगम के अभाव ने जीएसटी पोर्टल पर चल रहे अनुप्रयोग में विद्यमान महत्वपूर्ण जोखिमों को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.29)

आईटी लेखापरीक्षा के जांच परिणाम:

यह स्वीकार करते हुए कि जीएसटी विकासाधीन एक नई प्रणाली है तथ्य यह है कि इसके परिणाम और अखिल भारतीय प्रभाव को देखते हुए, यह सबसे आवश्यक है कि इसके लागू होने से पहले विकास और प्रणाली के परीक्षण में उचित सावधानी रखी जाए। व्यापार नियमों को उचित प्रकार से मैप करने में विफलता और लागू प्रणाली में मुख्य वैधताओं के अभाव जीएसटीएन के कार्य में अपर्याप्तता को इंगित करता है।

आईटी लेखापरीक्षा में उजागर मुद्दों ने जीएसटीएन के लिए विभिन्न कार्यात्मकताओं के विकास की प्राथमिकता की पुनः जांच करने, उनके मूल कारण विश्लेषण और परीक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता को इंगित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक रूप से लागू होने से पहले अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाया और उनमें सुधार किया गया है। यूएटी/एसआरएस साईन ऑफ में कार्यकारी की भागीदारी को पुनः जांच करने की आवश्यकता है।

अपूर्ण आईजीएसटी एल्गोरिथ्म के कारण आईजीएसटी बकाया के संचयन की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये ताकि राज्यों को आगामी विभाजन के प्रति समायोजित होने के लिए निपटान न किए गए आईजीएसटी के तदर्थ विभाजन की सहायता लेने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

(पैराग्राफ 3.31)

अध्याय IV : जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा

- अखिल भारतीय डेटा तक अधिगम सार्थक लेखापरीक्षा हेतु और राजस्व प्राप्तियों को प्रमाणित करने हेतु जरूरी अपेक्षित आश्वासन

प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है। सीएजी के संगठन को वर्तमान तिथि तक जीएसटी डेटा तक अधिगम नहीं दिया गया है।

- जीएसटी डेटा तक अभीगम के अभाव में, इस अध्याय में अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्षेत्र में किए गए सीमित लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे। हालांकि, इस सीमित लेखापरीक्षा में भी सामने लाए गए मुद्दों का विस्तार, गंभीर प्रणालीगत कमियों के विषय में बताता है जिनका विभाग द्वारा पता लगाना आवश्यक है।

(पैराग्राफ 4.1)

- संक्रमणकालीन क्रेडिट पर किए गए लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्षों से पता चला कि अस्वीकृत क्रेडिट का पता लगाने और इसे अस्वीकृत करने के लिए एसीईएस में उपलब्ध डेटा/रैड फ्लैग का लाभ नहीं लिया गया।

(पैराग्राफ 4.7)

- अधिनिर्णय संबंधी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की संवीक्षा के अधीन नहीं लिये जाने के कारण पंजीकृत करदाताओं का गैर-आवंटन अथवा गलत मैपिंग ने ऐसे मामलों में विवरणियां दाखिल करने/विवरणियां दाखिल नहीं करने के जोखिम को आगे बढ़ाया। अत्यधिक सघन वातावरण में , आईटी प्रणाली द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं को रैज कार्यालयों द्वारा स्वयं ले जाया गया।

(पैराग्राफ 4.9.2)

- प्रतिदायों से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के उदाहरणों ने स्वचालन पूर्ण होने तक प्रतिदाय की मानवीय प्रसंस्करण की निगरानी हेतु प्रणाली में सुधार के अलावा उपयुक्त जांच और पुष्टि के साथ प्रतिदाय प्रसंस्करण के स्वचालन की आवश्यकता को इंगित किया।

(पैराग्राफ 4.11)

कर के भुगतान और निपटान की प्रणाली जो जीएसटी के लिए परिकल्पित थी, वह एक सौ प्रतिशत बीजक-मिलान और इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने साथ ही बीजक मिलान के आधार पर आईजीएसटी के निपटान पर आधारित

थी। दोनों में से अभी तक कुछ भी संभव नहीं है चूंकि बीजक मिलान प्रणाली को शुरू नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन में बीजक मिलान की महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचान की गयी है जिससे इस प्रमुख कर सुधार के पूरे लाभ प्राप्त होंगे। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर राजस्व की रक्षा करेगा, यह आईजीएसटी के उचित निपटान की ओर अग्रसर करेगा, भले ही समाप्त न करे, परन्तु कर अधिकारी-करदाता प्रासंग में कमी लाएगा। वास्तव में मानवीय प्रणाली में समझा जाने वाला 'मूल्यांकन' भी आगे आवश्यक नहीं होगा (विवरणियां स्वयं ही एक ऐसी प्रणाली से तैयार की जा सकती हैं जो बीजकों का मिलान करती हों) और अपवंचन आदि के मामलों को, विशाल डेटा, जो करोड़ों बीजकों से उत्पन्न होता है, का विश्लेषणात्मक उपकरणों और एआई लागू कर के पता लगाया जा सकता है।